बिहार सरकार
उद्योग विभाग

उद्योग
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता
19 JUN 2020

कार्यालय, डी० आई० सी०
प्राप्ति संख्या 17
दिनांक 27.06.2020

# जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना की स्वीकृति

1. योजना का **नाम** :– जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन (Innovation) योजना ।

2. **उद्देश्यः**– कोविड–19 के कारण बिहार के बाहर कार्य करने वाले कामगार बड़ी संख्या में बिहार वापस आए। राज्य के बाहर से आए सभी कामगारों को राज्य सरकार द्वारा क्वारणटाईन सेन्टर पर रखा गया। कामगारों के स्कील मैपिंग सर्वे के दौरान इन लोगों के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि यदि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर उनके कौशल से संबंधित कार्य हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाए, तो वे राज्य में रहकर कार्य करने को उत्साहित है। इस संबंध में जिला पदाधिकारियों से मंतव्य प्राप्त कर उसे समावेशित करते हुए योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। तद्नुसार मुख्यतः राज्य के बाहर से आए कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन (Innovation) योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।

3. **योजना के लिए परियोजना राशिः**– कोविड–19 के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य के कुशल श्रमिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिलों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को तत्काल 50.00 लाख रूपये की राशि नवप्रवर्तन परियोजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म (टाईनी) इकाईयों को स्थापित कराने हेतु दिया जाएगा। इसके अंतर्गत नवप्रवर्तन युक्त लघु कार्य जैसे सिलाई केन्द्र की स्थापना, पेभर ब्लॉक उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केन्द्र, बढ़ईगिरी कार्य इत्यादि स्थापित कराया जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रति परियोजना अधिकतम रू0 10.00 लाख की राशि प्राथमिक पूंजी के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. **परियोजनाओं का चयनः**– जिला पदाधिकारी द्वारा कामगारों के समूह का चयन कर उनकी दक्षता के अनुरूप परियोजना हेतु आवश्यकतानुसार राशि का निर्धारण किया जाएगा एवं प्राथमिक पूँजी के रूप में अधिकतम रू0 10.00 लाख की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। सूक्ष्म (टाईनी) इकाईयों की स्थापना कराने के समय उनके फॉरवार्ड एवं बैकवार्ड लिंकेज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर स्थापित होने वाले इकाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी, ताकि लम्बे समय तक इकाई कार्यरत रह सके। आवश्यकतानुसार पूर्व के नियोजनकर्त्ता से सम्पर्क कर जॉब–वर्क दिलाने की कोशिश की जा सकती है, चयनित परियोजनाओं के लिए संक्षिप्त परियोजना प्रोफाइल तैयार कर तद्नुसार कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जाएगी।

5. इकाईयों का गठनः— प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 कामगारों का समूह बनाया जाएगा है, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य अथवा 50 प्रतिशत सदस्य, जो अधिक हो, कोविड पोर्टल पर दर्ज कामगार ही होंगे। इसके अंतर्गत चयनित कामगारो का साझेदारी (Partnership) फर्म तैयार कर सक्षम प्राधिकार से निबंधित कराना आवश्यक होगा।

6.योजना का क्रियान्वयनः— जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा परियोजना में नवप्रवर्तन के समावेश को सुनिश्चित किया जायेगा, तदोपरांत ही जिला पदाधिकरी के निदेशानुसार एवं अनुमोदनोपरांत राशि का व्यय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा किया जाएगा।

7. मेंटरशिपः— जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर परियोजनाओं के सुचारू एवं सफल कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों से प्रशिक्षित पेशेवर प्रबंधकीय विशेषज्ञ (Professional Management Expert) की सेवा प्राप्त की जा सकती है, जिनका कार्य मुख्यतः परियोजना की स्थापना, तकनीकी–आर्थिक सहयोग, कच्चामाल की उपलब्धता एवं विपणन संबंधी परामर्श देना होगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार मानदेय एवं सेवा शर्त जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो क्रमांक–3 में उल्लिखित अधिसीमा के अन्दर होगा। इस राशि का भुगतान कंडिका–5 में उल्लिखित साझेदारी (Partnership) फर्म द्वारा किया जाएगा।

8. जिलास्तरीय समितिः— योजना की स्वीकृति, संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्न रूप से किया जायेगाः—

| | |
|---|---|
| (i) जिला पदाधिकारी – | अध्यक्ष। |
| (ii) उप विकास आयुक्त – | सदस्य। |
| (iii) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र– | सदस्य–सह–सचिव। |
| (iv) जिला योजना पदाधिकारी– | सदस्य। |
| (v) जिला कृषि पदाधिकारी– | सदस्य। |
| (vi) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक– | सदस्य। |
| (vii) डी0डी0एम0, नाबार्ड– | सदस्य। |
| (viii) श्रम अधीक्षक – | सदस्य। |
| (ix) विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ (दो)– | सदस्य। |

(IIT, IIM, NIT जैसे संस्थानों से प्रशिक्षित प्रबंधकीय एवं इंजिनियरिंग विशेषज्ञ)

समिति द्वारा औद्योगिक नवप्रवर्तन परियोजनाओं की स्वीकृति, संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा।

9. लक्ष्यः— वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रत्येक जिला के लिए रू0 50.00 लाख की राशि दी जायेगी, जिसके तहत जिलास्तरीय समिति अपने स्तर से उद्यमों का चयन कर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करेगी। पूरे राज्य के लिए इस योजना पर 19 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है।

10. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

11. इस योजना हेतु सभी दिशा निर्देश परामर्श के रूप में है, जिला पदाधिकारी जिला समिति के परामर्श से योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते है। चूंकि यह योजना इनोवेशन पर आधारित है, अतः इसके अन्तर्गत परियोजना अथवा ईकाई के आंरभ हो जाने के पश्चात जिला पदाधिकारियों/उनके प्रतिस्थानी द्वारा स्थापित इकाईयों/परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना बाध्यकारी होगा।

12. **राशि का व्यय वहनः**– इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23 उप शीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852801020160 के विषय शीर्ष–0160–33–01–सब्सिडी मद में रू0 20000.00 लाख (दो सो करोड़) मात्र का बजट उपबंध उपलब्ध है, जिसके विरूद्ध रू0 1900.00 लाख (उन्नीस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रस्तावित है।

18/06/2020

सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–1928/ पटना, दिनांकः–18.6.2020

प्रतिलिपिः–(1)माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निजी सहायक/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महाप्रबंधक सभी जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

18/06/2020

सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

उक्त इकाई की स्थापना हेतु कुशल कामगार/कारीगर के साथ अन्य दस्तावेज एवं साक्ष्य आवेदन जि० उ० के० जमुई में ड्राॅप-बाॅक्स अथवा डाक के माध्यम से या email ID. gmdicjamui1234@gmail.com के माध्यम से दिनांक 16-08-2020 तक किया जा सकता है।